भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3681
दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941(शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली मेट्रो रेल निगम में सुरक्षाकर्मियों की संख्या

†3681. श्री गौतम गंभीरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली मेट्रो में सुरक्षाकर्मियों की वर्तमान संख्या और आवश्यकता कितनी है;
(ख) क्या दिल्ली मेट्रो में प्रत्येक वर्ष सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कुल कितने मामले सूचित हुए हैं और दोषी कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) क्या सरकार को मेट्रो स्टेशनों में लोगों द्वारा उनकी उचित रूप से तलाशी और उनके बैगों की जांच करवाए बिना प्रवेश करने के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और
(च) सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा में सुधार करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और भविष्य में ऐसे मामलों की आवृत्ति को रोकने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च): दिल्ली मेट्रो में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कार्मिकों की वर्तमान संख्या 12964 है। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। यात्रियों द्वारा सुरक्षा जांच के बिना मेट्रो प्रणाली में प्रवेश करने, मेट्रो ट्रैक को पार करने, जेब-तराशने, अवैध हथियार ले जाने आदि से संबंधित घटनाएं, जब कभी सामने आती हैं, तो उनका कानून के अनुसार निपटान किया जाता है।

दिल्ली मेट्रो में अपराध की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस के साथ-साथ सीआईएसएफ द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस द्वारा मेट्रो स्टेशनों की नियमित गश्त, सीआईएसएफ द्वारा उड़न दस्तों का सृजन, सीसीटीवी और निगरानी सिस्टम लगाना, अपराध आसूचना विंग के कार्मिकों की तैनाती, बड़े मेट्रो स्टेशनों पर पुलिस सहायता बूथ की व्यवस्था आदि शामिल हैं।

****